— आदेश —

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर कर्मशाला अनुदेशक शीटमेटल/पेंटिंग वेतनक्रम रु0 3000–6000 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में की जाती है। उनकी यह नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवायें शासनादेश संख्या–20/1/74–3, दिनांक– 11 जून, 75 के अनुसार किसी भी, समय किसी भी पक्ष द्वाराएक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति/पिछड़े वर्ग जैसाकि अभिव्यक्त है, का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	संस्था का नाम जहाँ नियुक्ति की जाती है
1	2	3
1–	सर्वश्री मनोज गौतम पुत्र श्री शोभाराम गौतम, म0न0 171 नया गाँव नदी रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।	राजकीय पालीटेक्निक, उरई।
2–	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद श्रीवास्तव, सी–105/247 छोटे काजीपुर, गोरखपुर – 273 001 उ0प्र0।	राजकीय पालीटेक्निक, इटावा।

नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

1– सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

2– दो राजपत्रित अधिकारियों जो उनके सम्बन्धी न हो के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

3– एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।

4– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

5– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय भेजे जाय। दिनांक–29/09/2001 तक नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में [illegible] उनकी नियुक्ति [illegible] समझी जायेगी। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(रजा रिजवी)
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।